

फर्द अहकाम

हुसैन खां00 बनाम सत्तार खां वगै0

म न्यायालय

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), पूरू

स संख्या 78/2014

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/06/2017	<p>आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट अभियान 'न्याय आपके द्वार' मुकाम मौजमाबाद पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र में पक्षकारान को विधिवत् सम्मन तामील हो चुके है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1156, 1164, 1165, 1166, 1169, 1171 लगायत 1177, 1179, 1180, 1181, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1236 लगायत 1244 कुल किता 28 कुल रकबा 15.5600 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक-दूसरे की कब्जा-काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(त्रिलोक चन्द मीना)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) पूरू